

न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी-सुनिता चौधरी, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 392/2025

ईलमदीन पुत्र मिश्री खॉ व अन्य
बनाम
अब्दुल अजीज पुत्र कमरे खॉ वगैरा

दिनांक 6 .04.2026

उक्त अपील राज० भू राजस्व अधि० 1956 की धारा 75 के तहत उपखण्ड अधिकारी बाप (फलौदी) द्वारा अंतर्गत धारा 111, 128 आरएलआर एक्ट के तहत रिमाण्ड-राजस्व प्रकरण सं० 286/2023 बअनवान अब्दुल अजीज व अन्य बनाम राज० सरकार वगैरा में पारित निर्णय दिनांक 19.07.2024 के विरुद्ध प्रस्तुत की है।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रत्यर्थी सं० 1 व 3-प्रार्थी-अब्दुल अजीज वगैरा ने प्रार्थना प्रस्तुत कर तहसील बाप स्थित ग्राम बडी ढाणी के खातेदारी खसरा नम्बर 2187, 2187/2938 व 2192 की उल्लेखित रकबा भूमि की, मौका फर्द सीमांकन दिनांक 06.01.2020 के अनुसार पत्थरगढी करवाने का आग्रह किया गया। जिसे अपीलाधीन आदेश द्वारा स्वीकार कर वादग्रस्त खसरान का सीमाज्ञान दोनों पक्षकारान की उपस्थिति में भू-अभिलेख निरीक्षक की अध्यक्षता में टीम गठित की जाकर सीमाज्ञान अनुसार पत्थरगढी करवाने हेतु तहसीलदार बाप को आदेशित किया गया। इससे व्यथित होकर अपीलाट-अप्रार्थी सं० 2 से 12-ईलमदीन वगैरा ने यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

अपील के साथ अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब को क्षमा करने हेतु अवधि गणनार्थ अधिनियम की धारा 05 के तहत प्रार्थना पत्र मय श०प० प्रस्तुत किया गया, जो न्यायहित में स्वीकार कर प्रकरण का गुणावगुण पर परीक्षण किया गया।

वकील अपीलाट श्री पूनाराम विश्नोई एवं प्रत्यर्थी सं० 1 से 3 के अधिवक्ता श्री नाहरसिंह सोलंकी व प्रत्यर्थी सं० 4 की ओर से राजकीय अधिवक्ता उपस्थित।


बहस सुनी गई। दौरान बहस वकील अपीलाट ने अपील मीमों में उल्लेखित तथ्यों को दौहराते हुए मुख्यतः यह निवेदन किया कि पूर्व में इस मामले में अधीनस्थ

न्यायालय द्वारा रेस्पोंसं० 1 से 3-प्रार्थी-अब्दुल अजीज वगैरा के राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 40/2020 में पारित निर्णय दिनांक 09.03.2021 के विरुद्ध अपीलांट्स ने न्यायालय हाजा के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई थी। उक्त राजस्व अपील संख्या 211/2021 बअनवान इलमदीन व अन्य बनाम अब्दुल अजीज वगैरा में पारित निर्णय दिनांक 30.05.2022 द्वारा अपीलाधीन आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए अधीनस्थ न्यायालय को निर्देश प्रदान किए गये, कि वे दोनों पक्षकारान को नोटिस जारी कर, नोटिस तामिल होने के पश्चात विधिवत सीमाज्ञान/पत्थरगढी का आदेश पारित करे। तत्पश्चात सीमाज्ञान/पत्थरगढी की कार्यवाही दोनों पक्षकारान की उपस्थिति में भू अभिलेख निरीक्षक की अध्यक्षता में टीम गठित कर करवायी जावे।

उक्त आदेश की पालना में अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण दर्ज किया गया। जिसमें अपीलार्थीगण-अप्रार्थी द्वारा आदेश 1 नियम 10 सीपीसी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया एवं अपीलार्थीगण के अधिवक्ता को बिना सुने ही, बहस सुननी बताकर पडौसी खातेदारों को पक्षकार बनाये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया गया।

अपीलांट्स ख०नं० 2169, 2170 व 2171 के रेकर्डेड व पडौसी खातेदार है। वादग्रस्त खसरान की विधिवत पैमाईश कभी नहीं हुई। आलौच्य प्रकरण में तहसीलदार की रिपोर्ट तक नहीं ली गई। अतः अपील स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाने का आग्रह किया गया।

जवाब में प्रत्यर्थी सं० 1 व 3 के योग्य अधिवक्ता ने अपनी बहस में मुख्यतः यह निवेदन किया कि न्यायालय हाजा द्वारा रिमाण्ड प्रकरण में अपीलांट्स-अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी सं० 2 से 12 जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर जवाब पेश किया गया। जिसमें मुख्यतः यह अभिकथन किया गया कि वादग्रस्त खसरान की संपूर्ण भूमि पर प्रार्थीगण का कब्जा काश्त नहीं है। प्रार्थी के ख०नं० 2187/2938 के चिपते अपीलांट-अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ख०नं० 2169 स्थित है। ख०नं० 2187/2938 के हिस्से पर अप्रार्थीगण का पीढियों पुराना कब्जा व काश्त है तथा धोरा भी बना रखा है व पक्का निर्माण किया हुआ है। जिसकी पैमाईश किया जाना संभव नहीं है। मौका फर्द दिनांक 06.01.2020 एकतरफा तैयार की गई है, इसलिए खूटे रोपने का प्रश्न ही नहीं है। उक्त खसरान



du

राजस्व अपील
आहुत

की संपूर्ण भूमि पर प्रार्थी का कब्जा काशत नही होने से प्रार्थीगण पत्थरगढी करवाने के हकदार नही है। प्रार्थीगण को पत्थरगढी करवाने से पूर्व धारा 183 राज. काशतकारी अधिनियम के तहत वाद प्रस्तुत कर बेदखली की कार्यवाही करनी चाहिए। कब्जे के अभाव में नेखमबंदी का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही होने से खारिज करने का आग्रह किया गया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जमाबंदी संवत् 2070-73, नक्शा ट्रेस एवं मौका फर्द के आधार पर प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि की पत्थरगढी न्यायालय हाजा द्वारा पूर्व पारित निर्णय दिनांक 30.05.2022 की पालना में सीमाज्ञान/पत्थरगढी की कार्यवाही दोनों पक्षकारान की उपस्थिति में भू-अभिलेख निरीक्षक की अध्यक्षता में टीम गठित की जाकर सीमाज्ञान अनुसार पत्थरगढी करवाने का आदेश पारित किया गया। जो विधिसम्मत एवं न्यायालय हाजा द्वारा पूर्व पारित आदेश की पालना में पारित होने से यथावत रखने का आग्रह किया गया।

राजकीय अधिवक्ता द्वारा अपीलाधीन आदेश का समर्थन करते हुए, प्रकट तथ्यों के आधार पर विधिसम्मत निर्णय पारित कराने का आग्रह किया गया।

हमने दोनो पक्षों के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी। पत्रावली एवं रेकर्ड पर उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन व मनन किया। जिसके अनुसार प्रकट है कि अपीलाधीन कार्यवाही में तहसीलदार बाप से जवाब प्रार्थना पत्र/रिपोर्ट का अभाव पाया गया, जो कि आवश्यक है। वकील अपीलांट का यह भी कथन है कि प्रार्थना पत्र में पडौसी खातेदारों को पक्षकार नही बनाया गया है। अतः इस स्थिति में अपीलाधीन आदेश यथावत रखा जाना न्यायोचित नही समझा गया।


उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के परिणाम स्वरूप अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय-उपखण्ड अधिकारी बाप (फलौदी) द्वारा राजस्व प्रकरण संख्या 286/2023 बअनवान अब्दुल अजीज व अन्य बनाम राज० सरकार वगैरा में पारित निर्णय दिनांक 19.07.2024 निरस्त किया जाता है। साथ ही उक्त प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह वादग्रस्त खसरान की भूमि का सीमांकन एवं पत्थरगढी हेतु अपीलांट एवं रेस्पो० तथा अन्य सभी हितबद्ध पक्षकारान/खातेदारान की सुनवाई हेतु नोटिस जारी कर, विधिवत तामिली के पश्चात, तहसीलदार की रिपोर्ट प्राप्त कर, न्यायालय

राजस्य अपील सं० 392/2025 ईलमदीन व अन्य बनाम अब्दुल अजीज वगैरा

Page 4 of 4

हाजा के पूर्व निर्णय दिनांक 30.05.2022 को ध्यान में रखते हुए, सीमांकन एवं पत्थरगढी हेतु विधिसम्मत आदेश पारित करावे।

निर्णय आज दिनांक 6-4-26 को खुले न्यायालय लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावे। अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड निर्णय की सत्यप्रति के साथ लौटाया जावे।



(सुनिता चौधरी)

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर